(12)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 944–पीबीआर/14 विरूद्ध आदेश दिनांक 20–02–2014 पारित द्वारा आयुक्त नर्मदापुरम् संभाग होशंगाबाद प्रकरण क्रमांक 111/अपील/2013–14.

श्रीमती आरती वर्मा पत्नि श्री शैलेष वर्मा,
निवासी कृषि विहार कालोनी तिलक नगर इंदौर
तहसील व जिला इंदौर म0प्र0 ....आवेदिका

विरूद्ध

सतीश कुमार पटैल आ0स्व0नवलकिशोर पटैल,
निवासी वार्ड कमांक 2 माता मंदिर के पास पुरानी इटारसी,
तहसील इटारसी जिला होशंगाबाद ....अनावेदक

श्री दिवाकर दीक्षित, अभिभाषक, आवेदिका

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 3/1/17 को पारित)

आवेदिका द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत आयुक्त नर्मदापुरम संभाग होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 20–02–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि मौजा सेमरीखुर्द स्थित भूमि सर्वे कमांक 505 रकबा 1.639 हेक्टेयर, सर्वे कमांक 527/2 रकबा 0.522 हेक्टेयर, 544/2 रकबा 0. 971 हेक्टेयर, सर्वे कमांक 444/5 रकबा 0.101 हेक्टेयर एवं 545/2 रकबा 0.951 हेक्टेयर कुल रकबा 4.184 हेक्टेयर भूमि राजस्व अभिलेखों में अनावेदक सतीश के नाम से दर्ज थी। नायब तहसीलदार द्वारा पारिवारिक व्यवस्था पत्र के आधार पर संशोधन कमांक 91 पर दिनांक 20–2–1995 को आदेश पारित कर उपरोक्त भूमियॉ आवेदिका आरती के नाम से

दर्ज की गई । तहसील न्यायालय के उक्त आदेश से व्यथित होकर अनावेदक द्वारा प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष दिनांक 1–10–2009 को अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन पत्र व शपथपत्र के साथ लगभग 14 वर्ष से भी अधिक विलम्ब से प्रस्तुत की गई और अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 30–4–2010 को आदेश पारित कर अपील अवधि बाह्य मानते हुये निरस्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–4–2010 से व्यथित होकर द्वितीय अपील आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत की गई और आयुक्त द्वारा दिनांक 20–2–2014 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी एवं नायब तहसीलदार के आदेश निरस्त किये जाकर शासकीय अभिलेखों में पूर्व की स्थिति कायम किये जाने के आदेश देते हुये द्वितीय अपील स्वीकार की गई । आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदिका के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) अनावेदक की ओर से अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन पत्र में विलम्ब का उचित कारण नहीं दर्शाया गया है, ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत अपील को अवधि बाह्य मानकर निरस्त करने में वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है ।

(2) विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन पत्र में प्रतिदिन के विलम्ब का कारण नहीं दर्शाया गया है, ऐसी स्थिति में भी अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपील अवधि बाह्य मानने में विधिसंगत कार्यवाही की गई है ।

(3) तहसीलदार के आदेश दिनांक 20–2–1995 के आदेश की जानकारी प्रथम बार दिनांक 8–2–2009 को अनावेदक को किस प्रकार हुई इसका कोई आधार अनावेदक की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया है और जानकारी का स्त्रोत भी नहीं दर्शाया गया है ।

(4) अनावेदक द्वारा दिनांक 8–9–2009 को प्रथम बार तहसील न्यायालय के आदेश की जानकारी होने संबंधी अविश्वसनीय कहानी की रचना की गई है और ऐसी कहानी के आधार पर विलम्ब क्षमा करना अधिकारी नहीं है ।

(5) अनावेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील 5320 दिवस कें अत्यधिक विलम्ब से प्रस्तुत की गई थी, जो कि स्वीकार योग्य नहीं थी, अतः अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपील निरस्त करने में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है और अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को निरस्त करने में आयुक्त द्वारा विधि विपरीत कार्यवाही की गई है ।

(6) आयुक्त द्वारा इस स्थिति पर कोई विचार नहीं किया गया है कि तहसील न्यायालय द्वारा विधिवत् उदघोषणा का प्रकाशन किया गया है और सभी खातेदारों को सुनकर बटवारा आदेश पारित किया गया है ।

(7) अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 30–4–2010 को आदेश पारित किया गया है और संहिता में संशोधन 2011 के प्रवर्त होने के पूर्व का आदेश है, ऐसी स्थिति में जब अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन पत्र के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी का आदेश त्रुटिपूर्ण माना गया था तब उन्हें प्रकरण प्रत्यावर्तित करना था ।

(8) आयुक्त द्वारा जब अपील को समयावधि में माना था, तब उन्हें गुणदोष पर सुनकर आदेश पारित करना चाहिये था, जो नहीं किया गया है, ऐसी स्थिति में आयुक्त का आदेश पूर्णतः अवैधानिक एवं अनियमित आदेश होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

तर्क के समर्थन में 1984 एमपीडब्ल्यूएन 416, 1984 एमपीडब्ल्यूएन 68, 2000(1) एमपी वीकली नोट नं.55, 1984 आरएन 36, 1990 आरएन 139 एवं 1987 आरएन 412 के न्यायदृष्टांत प्रस्तुत किये गये ।

4/ अनावेदक के प्रकरण में सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है ।

5/ आवेदिका के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । नायब तहसीलदार के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन भूमि का भूमिस्वामी अनावेदक है और नायब तहसीलदार द्वारा संशोधन कमांक 51 पर दिनांक 20–2–1995 को बिना अनोवदक को सूचना एवं सुनवाई का अवसर दिये अपंजीकृत व्यवस्था पत्र के आधार पर प्रश्नाधीन भूमियों पर आवेदिका का नाम दर्ज कर

दिया गया, जबकि बिना किसी पंजीकृत दस्तावेज के संपत्ति का अन्तरण नहीं किया जा सकता है । उपरोक्त वैधानिक स्थिति पर बिना विचार किये अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अपील अवधि बाह्य मानकर निरस्त करने में विधि की गंभीर भूल की गई है, क्योंकि जैसा विचारण न्यायालय द्वारा पूर्णतः अवैधानिक आदेश पारित किया गया है वहीं ऐसे आदेश को समय सीमा जैसे तकनीकी बिन्दुओं पर निरस्त नहीं किया जाना चाहिये । अतः अनुविभागीय अधिकारी एवं तहसील न्यायालय के आदेश निरस्त किये जाकर अपर आयुक्त द्वारा पूर्व की स्थिति कायम करने का आदेश दिया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है, इसलिये अपर आयुक्त का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आयुक्त नर्मदापुरम संभाग होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 20—02—2014 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर